प्रेषक/आरटी निर्गत हेतु 7/12

पत्रांकः– 04/NULM- 65 /2016/...2783...

(271)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।

पटना, दिनांकः 7/12/16

विषयः– प्रकाशोत्सव के दौरान शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, संपूर्ण देश में फुटपाथ **विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2014** लागू है और इस अधिनियम की **धारा–(3) से (11)** के आलोक में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रय विनिमयम **(Regulation of Street Vending)** का कार्यान्वियवन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के घटक **Support to Urban Street Vendors (SUSV)** के अधीन नगर फुटपाथ विक्रय योजना तैयार कर शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को विक्रय स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक–2659 दिनांक– 02.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश भी निर्गत है।

शहरी क्षेत्रों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा संड़कों का अतिक्रमण कर विक्रय कार्य किया जाता है जिससे यातायात में परेशानी होती है तथा सड़कों पर जगह–जगह कूड़े के ढ़ेर जमा हो जाते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, इस माह के अंत में नगर निगम क्षेत्र में प्रकाशोत्सव का आयोजन वृहत पैमाने पर किया जा रहा है। प्रकाशोत्सव के दौरान शहर मेंयातायात की व्यवस्था सुगम बनाना एवं साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। अतः वर्णित अधिनियम के अनुसार फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रय विनिमयम **(Regulation of Street Vending)** के कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन स्थापित करने की कार्रवाई की जाय ताकि प्रकाशोत्सव के दौरान आम नागरिकों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।

विश्वासभाजन,

6/12/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 2783 **दिनांक–** 7/12/16

प्रतिलिपिः– संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित महापौर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने–स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6/12/2016

प्रधान सचिव

016